भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या - 2409

सोमवार, 13 दिसम्बर, 2021/22 अग्रहायण, 1943 (शक)

केंद्र प्रायोजित योजनाएं

2409. श्रीमती प्रमिला बिसाईः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(**क**) क्या सरकार का अलग से योजना आधारित बैंक खाते खोलने के बजाय सीधे कोष प्रणाली के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के संचालन हेतु राज्य सरकारों को लचीलेपन की अनुमति देने का विचार है;

(**ख**) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(**ग**) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें राज्य बजट की अनुमति प्राप्त किए बिना सरकार द्वारा राज्य/जिला कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे तौर पर धनराशि जारी की जाती है; और

(**घ**) क्या सरकार का राज्य के बजट के माध्यम से योजनाओं के लिए धनराशि भेजने का विचार है और इसलिए इसे कोष प्रणाली के माध्यम से भेजा जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): ऐसा कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ग): भारत सरकार विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) लागू कर रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच किए गए आवंटन के अनुसार, संबंधित नोडल मंत्रालय/विभाग द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत निधियां जारी की जाती हैं। नोडल मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रत्येक केंद्रीय प्रायोजित योजना संचालित की जा रही है और अन्य बातों के साथ-साथ इसके प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देशों में कार्यान्वयन संबंधी तौर-तरीकों के बारे में स्पष्ट सूचना, निधि का प्रवाह, निधि का जारी किया जाना और संवितरण भी सम्मिलित है। केंद्रीय प्रायोजित योजना का निधियन पैटर्न भी अलग-अलग है और यह उनके दिशा-निर्देशों एवं यथोचित प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन है।

(घ): वित्त मंत्रालय व्यय बजट के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को भिन्न-भिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) को बजटीय परिव्यय आवंटित करता है। मंत्रालय/विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच इसका बारी-बारी से आवंटन करते हैं। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं(सीएसएस) के मामले में, निधियों का अधिकांश प्रवाह भारत की समेकित निधि से राज्य की समेकित निधि (राज्य कोषागार) की ओर है। एक प्रभावी निधि प्रवाह तंत्र की स्थापना करने के लिए, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की निधियां लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से जारी की जाती हैं।

*****